

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरु

दिनांक :- 25/5/09

क्रमांक: प. 12 (1) (4) राजस्व/2009

**-:: संपरिवर्तन आदेश ::-**

अध्यक्ष, महाराजा पब्लिक स्कूल संस्थान, सांखण ताल तहसील राजगढ जिला चूरु के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता  
महाराजा पब्लिक स्कूल संस्थान, सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरु नहीं।
2. क्या आवेदक अनु.जाति/जनजाति का सदस्य है?
3. संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए इशित भूमि का  
ब्यौरा  
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम सांखणताल/ राजगढ  
(ख) भूमि का ख. न. तथा प्रत्येक ख.न. का खसरा नं. 335 रकबा 0.40 है.  
क्षेत्रफल 1471 वर्ग मीटर  
(ग) संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर नियमानुसार
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम  
चा. नं. 7 दिनांक 9.1.08 राशि 27672 रुपये (कुल रुपये सताईस हजार छः सौ बहतर मात्र)
7. चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :- नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम नहीं
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम -13 के अधीन जारी किया गया है ? नहीं
10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक द्वारा जमा करायी गई प्रीमियम राशि समग्रहृत हो जावेगी।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा
4. इण्डियन रोड. काँग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी छोड़नी होगी।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि गान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
6. भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।
7. आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

Set -

जिला कलेक्टर,

चूरु

दिनांक 25/5/2009

क्रमांक: प. 12 (1) (4) राजस्व/2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़।
2. तहसीलदार, राजगढ़।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत सांखणताल तहसील राजगढ़।
4. अध्यक्ष, महाराजा पब्लिक स्कूल संस्थान, सांखण ताल तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
5. रक्षित पत्रवली।

जिला कलेक्टर,

चूरु



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, चूरु

क्रमांक: प. 12 (1) ( ) राजस्व/2010

दिनांक :- 21/7/2010

**-:: संपरिवर्तन आदेश ::-**

आवेदक संस्था मालाराम कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांखणताल, तह0 राजगढ, जिला चूरु जरिये सचिव श्री सुनील कुमार पुत्र सज्जन कुमार, निवासी सांखणताल के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता मालाराम कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांखणताल, तह. राजगढ
2. क्या आवेदक अनु.जाति/जनजाति का सदस्य है? नहीं
3. संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए इप्सित भूमि का ब्यौरा  
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम सांखणताल, तह. राजगढ  
(ख) भूमि का ख. न. तथा प्रत्येक ख.न. का खसरा नं. 337 मी0 रकबा क्षेत्रफल 0.10 चाही 1,000 वर्ग मीटर  
(ग) संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर नियमानुसार
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम जरिये चालान दिनांक 12-3. 010 राशि 5,000 रुपये (रूपान्तरण राशि सुवोमोटो जमा)
7. चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :- नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम नहीं
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम -13 के अधीन जारी किया गया है ? नहीं

10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो

नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक द्वारा जमा करायी गई प्रीमियम राशि समग्रहृत हो जायेगी।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा
4. इण्डियन रोड. काँग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी छोड़नी होगी।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
6. भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।
7. आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

जिला कलेक्टर,

चूरु

दिनांक 21.07.2010

क्रमांक: प. 12 (1) ( ) राजस्व/2010

सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
2. तहसीलदार, राजगढ़।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत सांखणताल, तह0 राजगढ़।
4. मालाराम कोंठारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांखणताल, जरिये सचिव श्री सुनील कुमार।
5. रक्षित पत्रवली।
6. उप पंजीनद, राजगढ़

जिला कलेक्टर,

चूरु